राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1037 (iii)/1340 दिनांक : 30/6/2020

–: कार्यालय आदेश :–

मण्ड़ल सम्पत्ति के त्वरित निस्तारण एवं आवासों की लागत में राहत प्रदान करने हेतु, मण्ड़ल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर जो वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 में प्रभावी दरें संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 237वीं दिनांक 20.6.2019 के बिन्दु संख्या 237.18 में लिए गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 (01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक) के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037 (iii)/1043 दिनांक 03.7.2019 द्वारा स्थिर की गयी थी।

वर्ष 2019–20 में की गयी स्थिर दरों को Covid-19 की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक स्थिर की जाती है।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।

आवासन आयुक्त

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1037 (iii)/1340 दिनांक : 30/6/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01 निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर।
02 निजी सचिव–आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर।
03 निजी सचिव–वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर।
04 अति.मुख्य अभियन्ता–प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर।
05 अति.मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जोधपुर।
06 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर।
07 उप आवासन आयुक्त, वृत्त–.....,राजस्थान आवासन मण्ड़ल, ...।
08 संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्ड़ल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
09 आवासीय अभियन्ता, खण्ड़–.....,राजस्थान आवासन मण्ड़ल, ...।
10 सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त–.....,राजस्थान आवासन मण्ड़ल, ...।
11 वरिष्ठ लेखाधिकारी ....., राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर।
12 लेखाधिकारी, वृत्त–....., राजस्थान आवासन मण्ड़ल, ...।
13 रक्षित फाईल।

वित्तीय सलाहकार